राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एफ.6( ) आ.प्र.एवं सहा./उत्तराखण्ड राहत पैकेज/2013/11041-91 जयपुर, दिनॉकः 29/7/2013

समस्त, जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान।

विषयः– माह जून, 2013 में प्राकृतिक आपदा में मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों (NEXT OF KIN) को राहत हेतु पैकेज।

महोदय,

उत्तराखण्ड में दिनॉक 16 एवं 17 जून को हुई प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों (Next of kin) को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पैकेज घोषित किया गया है :–

<u>अनुग्रह राशि</u>–

- राजस्थान राज्य के प्रत्येक मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों (Next of kin) को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 5 लाख रूपये (जिसमें 2 लाख प्रधानमंत्री सहायता कोष से + 1.5 लाख एसडीआरएफ से + 1.5 लाख उत्तराखण्ड सरकार से) एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जायेगी।
- इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि पृथक से एक मुश्त प्रदान की जायेगी।
- उत्तराखण्ड की यात्रा पर गये व्यक्तियों मे से जो व्यक्ति घायल या बीमार होने के कारण उन्हें उत्तराखण्ड मे अस्पताल मे भर्ती रहकर ईलाज कराना पडा था उन्हें एक मुश्त 25 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी।
- उक्त अनुग्रह राशि के अतिरिक्त मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के आश्रितों मे से एक आश्रित को राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पात्मक नौकरी प्राप्त करने अथवा अधोलिखित सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

- राज्य सरकार के अधीन अनुकम्पात्मक नौकरी का विकल्प नहीं चुनने वाले आश्रितों को निम्न सहायता प्रदान की जायेगी।

1. **भरण–पोषण–**

➢ ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता दोनो ही मृत अथवा स्थाई रूप से लापता हैं, उन्हें बालिग होने तक 4000/– रू. प्रतिमाह जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित संरक्षक के बैंक खाते मे जमा कराया जाऐगा, जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी।

➢ उपरोक्त श्रेणी की बालिकाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार प्रतिमाह दी जाने वाली 4 हजार रूपये की राशि के अलावा 4 लाख रू0 की एक मुश्त राशि सावधि जमा की जायेगी, जो उनके बालिग होने के उपरान्त देय होगी।

➢ यदि विधवा स्वयं आजीविका अर्जित नहीं कर रही हो तथा उसके अवयस्क बच्चे हों तो उसके प्रत्येक बच्चे के लिए वयस्क होने तक 1500/– रू0 प्रति माह (जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी) उसके भरण पोषण के लिये दिये जायेंगे तथा विधवा को पृथक से स्वयं के भरण पोषण के लिए 1500/– रू0 प्रतिमाह की राशि दी जावेगी। (जिसमें 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि की जायेगी)

➢ ऐसे परिवार जिनमें मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के अलावा कोई कमाऊ सदस्य नहीं है तथा मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के माता–पिता पूर्ण रूप से मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति पर ही आश्रित थे, ऐसे प्रकरणों में माता–पिता को संयुक्त रूप से 2000/– रू0 प्रतिमाह की राशि भरण–पोषण हेतु प्रदान की जायेगी। (यह राशि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा देय होगी।)

2. **शिक्षा–**

➢ प्रत्येक बच्चे को 12,000 रूपये बार्षिक स्कूल शिक्षा हेतु एवं 25,000 रूपये वार्षिक उच्च शिक्षा हेतु।

➢ प्रत्येक बच्चे को किसी एक पाठ्यक्रम की कोचिंग हेतु 50,000 रूपये एक मुश्त।

3. **विधवा द्वारा पुनर्विवाहः–**

➢ विधवा के पुर्नविवाह करने के बावजूद भी उनके आश्रित प्रत्येक बच्चे को वयस्क होने तक 1500/– रू0 प्रतिमाह 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ देय होंगे।

4.आजीविका–

- व्यवसायिक प्रशिक्षण– इस प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण (3–6 महीने) हेतु विधवा स्वयं को 1,00,000/– रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/– रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत तक एक बार देय होगा।
- स्वरोजगार हेतु उद्योग की स्थापना– इस प्रयोजनार्थ उद्योग की स्थापना हेतु विधवा स्वयं को 1,00,000/– रू0 एवं परिवार के अन्य सदस्य को 50,000/– रू0 की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत वास्तविक लागत एक बार अनुदान देय होगा।

5. बी.पी.एल. की पात्रता

- मृतक अथवा स्थाई रूप से लापता व्यक्ति के परिवारजन वर्तमान में राज्य सरकार की बी.पी.एल. वर्ग में देय सुविधा के लिए पात्र माने जायेंगे।

उक्त राहत एवं पुनर्वास पैकेज के तहत पात्र लाभान्वितो को देय राशि का नकद भुगतान नहीं किया जाकर लाभान्वित के नाम बैंक खाते में जमा होगी।

उक्त राहत पैकेज के तहत राहत प्रदान करने हेतु मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के प्रमाणीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के मृतक एवं स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के लिये निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप ही राजस्थान सरकार द्वारा भी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अपनायी जावेगी जो कि निम्नानुसार है।

1. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जावे :–

"ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान से उपरोक्त तिथियों में उत्तराखण्ड के जल प्रलय क्षेत्रों में पर्यटक बनकर या श्रृद्धालु के रूप में या अन्य कारणों से आये थे तथा दिनांक 16 जून, 2013 से स्थायी रूप से लापता हो गये। "

2. उपरोक्त आपदा में स्थायी रूप से लापता हुए व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

(i) सर्वप्रथम स्थायी रूप से लापता व्यक्ति/व्यक्तियों के सबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने अथवा तहसील क्षेत्र में दर्ज की जानी

अनिवार्य होगी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे और यदि ये सभी किसी कारण से उपलब्ध न हो तो अन्य विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) द्वारा दर्ज होगी।

(ii) स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) जो कि इस पत्र के पैरा 8 में वर्णित है, के द्वारा एक शपथ पत्र इस आशय का दिया जायेगा कि जिस व्यक्ति के संबंध में स्थायी रूप से लापता बताकर अनुग्रह राशि का आग्रह किया जा रहा है, वह वास्तव में स्थायी रूप से लापता हो चुका है और उसके संबंध में जो विवरण दिया गया है वह सत्य है। इस आशय का शपथ पत्र/बंध पत्र भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि किसी समय यह ज्ञात होता है कि उसके द्वारा उक्त अनुग्रह राशि गलत रूप से या धोखाधडी से प्राप्त की गयी है तो ऐसी स्थिति में वह समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा तथा उसके विरूद्ध जो भी विधिक कार्यवाही होगी वह सम्पन्न की जायेगी। यह शपथ पत्र नोटराइज्ड किया जायेगा और स्थायी अभिलेखों के रूप में संरक्षित किया जायेगा। शपथ पत्र/बंध पत्र का प्ररूप परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

(iii) स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी अभिलेख जिला कलेक्टर द्वारा तैयार किये जायेंगे एवं आवश्यकतानुसार इस निमित्त व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके साथ ही एक रजिस्टर भी तैयार किया जायेगा जिसे स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों का रजिस्टर (Register of Permanently Missing Persons) कहा जायेगा। इसे भी स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।

3. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की सूची के चिन्हीकरण, उनकी सूची तैयार किये जाने एवं उनसे संबंधित अभिलेखों को तैयार करने एवं संरक्षण हेतु संबंधित उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी को इस निमित्त सक्षम अधिकारी घोषित किया

जाता है। संबंधित सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा विभिन्न अभिलेखीय तथा दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या–4 एवं 5 में वर्णित साक्ष्य तथा उनके स्वविवेक से अन्य उपलब्ध सभी साक्ष्य लिये जाकर स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों का प्रमाणीकरण किया जावेगा। सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ऐसे प्रत्येक प्रमाणित लापता व्यक्ति का इन्द्राज इस हेतु तैयार किये गये स्थाई रजिस्टर में दर्ज करेंगे एवं प्रत्येक प्रविष्टि को प्रमाणित करेंगे, जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा भी प्रति हस्ताक्षर किये जायेंगे।

4. स्थायी लापता व्यक्ति का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों से किया जायेगा :–

(i) राशन कार्ड
(ii) परिवार रजिस्टर
(iii) मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र
(iv) यदि घर का मुखिया है तो गृह कर/विद्युत बिल/पानी के बिल की रसीद।
(v) बैंक पास बुक।
(vi) आधार कार्ड।
(vii) विद्यालयी अभिलेख।

5. चिन्हीकरण की प्रक्रिया में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित थाने/तहसील से सूचना प्राप्त की जायेगी कि उक्त व्यक्ति स्थायी रूप से लापता है और उसके बारे में जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

6. उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लापता व्यक्तियों का सम्पूर्ण विवरण तैयार किया जावेगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के गजट में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जावेः–

(i) लापता व्यक्ति का नाम एवं लिंग,
(ii) लापता व्यक्ति के माता/पिता का नाम,
(iii) लापता व्यक्ति के निवास का पता,
(iv) लापता व्यक्ति की आयु,

(v) अन्य ऐसे पहचान चिन्ह एवं सूचक जैसा कि सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) को किसी अधिकारिक माध्यम से ज्ञात हो।

7. स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के नाम उपरोक्तानुसार जिला कलेक्टर द्वारा अन्तिम रूप से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। इन सूचियों को राज्य के गजट में भी प्रकाशित किया जायेगा तथा राजस्थान सरकार के अधिकारिक वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जायेगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा कि 30 दिन के अन्तर्गत लापता व्यक्ति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी (NEXT OF KIN) को उक्त पैकेज के अनुरूप राहत प्रदान की जायेगी। सक्षम अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) ही जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि के भुगतान के लिए भी अधिकृत होंगे। पात्र व्यक्तियों को किये गये भुगतान एवं प्रदान की गई सहायता की प्रविष्टि उक्त स्थाई रजिस्टर में की जावेगी, जिसे उप खण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणिकरण किया जावेगा एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा।

8. उक्त राहत पैकेज के तहत सहायता पात्र लाभान्वितों को जिला कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्ति के परिवार के व्यक्तियों या अन्य को निम्न क्रमानुसार प्रदान की जायेगीः–

(i) जीवित पति/पत्नि (लापता व्यक्ति के विवाहित होने की स्थिति में)।

(ii) जीवित माता/पिता (लापता व्यक्ति के अविवाहित होने की स्थिति में)।

(iii) जीवित माता/पिता (समस्त परिवार पति/पत्नि एवं बच्चों के लापता होने की स्थिति में)

(iv) जीवित बच्चे (यदि उक्त आपदा में उनके अपने माता/पिता अथवा विधिक संरक्षक लापता हों)। जीवित बच्चों के बालिग न होने की स्थिति में उनके हितों को संरक्षित किये जाने हेतु पृथक से प्रावधान किए जायेगें।

9. उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी में मृतक व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया

जाना आवश्यक है। अतः मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त पैकेज के तहत मृतक व्यक्तियों के विधिक वारिसों को राहत प्रदान की जावें।

10. उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण होने के पश्चात इस प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों (NEXT OF KIN) को उक्त राहत पैकेज के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जावेगी।

11. उक्त राहत पैकेज में राज्य सरकार द्वारा देय एक मुश्त अनुग्रह राशि (i) मृतक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के वारिसों को 5.00 लाख रूपये (ii) घायल एवं बीमार व्यक्तियों को 25 हजार रूपये तथा (iii) मतृक एवं स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों की आश्रित बालिकाओं के लिए एक मुश्त स्थायी जमा करायी जाने वाली 4.00 लाख रूपये की राशि का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से किया जावे।

12. उक्त बिन्दु संख्या 11 में वर्णित एक मुश्त देय राशि के अलावा उक्त पैकेज में देय अन्य सभी सहायता राज्य सरकार के नियमित बजट से देय होगी।

(सी. के. मेथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव

परिशिष्ट–1

शपथ पत्र/बन्ध पत्र का (AFFIDAVIT/BOND) प्रारूप

मैं.....पुत्र/पुत्री.....
श्री/श्रीमती/कुमारी..... का विधिक वारिस (NEXT OF KIN) हूँ। मैं (श्री/श्रीमती/कुमारी).....शपथपूर्वक यह तथ्य उल्लिखित करता हूँ/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आज दिनांक .... तक वास नहीं आये है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....से मेरा.....का सम्बंध है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में आयी इस आपदा के कारण वे लापता हो गये है और उनके लापता होने का और कोई अन्य कारण नहीं है। वे जून 2013 के तृतीय सप्ताह के दौरान उत्तराखण्ड में थे और मुझे विश्वास है कि उत्तराखण्ड में आयी प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप ही वे स्थायी रूप से लापता हो गये है। यदि वे वापस आते है। तो अविलम्ब मैं यह धनराशि राजस्थान सरकार को उनके वापस आने की सूचना सहित वापस कर दूंगा/दूंगी। मैं यह भी प्रतिशपथ करता/करती हूँ कि यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा प्राप्त **अनुग्रह राशि** त्रुटिपूर्ण तरीके से या तथ्यों की गलत घोषणा से या धोखाधड़ी से प्राप्त की गयी है तो यह धनराशि मुझसे वापस प्राप्त कर ली जाय और ऐसा होने पर मेरे विरूद्ध अन्य विधिसम्मत् कार्यवाही की जाय तथा यह धनराशि मेरे द्वारा वापस न किये जाने की स्थिति में भू राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाये।

विधिक वारिस के हस्ताक्षर

(SIGNATURE OF NEXT OF KIN)

हस्ताक्षर साक्षी– 1.....

मय पता

हस्ताक्षर साक्षी– 2.....

मय पता